संख्याः4/2024/2998/35-4-2023/35-4099/131/2021

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक:05 जनवरी,2024

विषय: जनपद- संत कबीर नगर में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार **जनपद- संत कबीर नगर की विधान सभा- धनघटा के तसहील ग्राम मझौरा में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण कार्य** हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2019-20 में शासनादेश संख्या-37/2020/508/35-4-2020 दिनांक 28-03-2020 के द्वारा रू0 1226.43 लाख की लागत पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 490.57 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या- 129/2021/1263/35-4-2021 दिनांक 18-08-2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रु० 122.64 लाख तथा शासनादेश संख्या- 222/ 2021/1927/35-4-2021 दिनांक 15-11-2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 306.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार प्रश्नगत आई0टी0आई0 हेतु लागत के सापेक्ष अब तक कुल रू0 919.81 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी के पत्र सं0- 444/त्व0आ0वि0यो0/2023-24 दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 द्वारा उक्त कार्य की स्वीकृत लागत धनराशि रू0 1226.43 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 919.81 लाख का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 306.62 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष अनुमन्य देय धनराशि रू0 306.62 लाख (रूपये तीन करोड छः लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विधान सभा क्षेत्र धनघटा के ब्लाक पौली के ग्राम मझौरा संत कबीर नगर का भवन निर्माण कार्य।	1226.43	919.81	306.62

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ैंदंकमौण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

http://sirasanadesh.up.gov.in

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक- 28-03-2020, दिनांक- 18-08-2021 तथा दिनांक- 15-11-2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च,2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,06,62000 (रूपये तीन करोड़ छः लाख बासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-42502030302 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस- 2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्याः10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरूणेश कुमार द्विवेदी

संयुक्त सचिव।

संख्याः 4/2024/2998(1)/35-4-2023/35-4099/131/2021/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ैदंकमौण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

http://gmsamadesh.up.gov.in

2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
8. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10. मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर ।
11. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संत कबीर नगर ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संत कबीर नगर ।
14. संबंधित अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग, संत कबीर नगर ।
15. संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ेंदंकमौण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।